



बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के लिए शैक्षिक सुगमकर्त्ताओं हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य व्यक्तियों को "मुक्त विद्यालयी शिक्षा" के माध्यम से, शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" की स्थापना 18.2.2011 को की गयी है ।

"बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना" के द्वारा वर्ष 2011-12 का शैक्षणिक सत्र से आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत -

- (I) 14+ आयु के नवसाक्षरों के लिए औपचारिक विद्यालयों की कक्षा 3, 5 एवं कक्षा-8 के समतुल्य शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकन कर, सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से, प्रमाणीकरण कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।
- (II) कक्षा 9/10 के लिए माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक सत्र में नामांकन कर, सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाएगा । (ग्यारह विषय)
- (III) कक्षा XI एवं XII के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक सत्र में नामांकन कर, सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से, प्रमाणीकरण किया जाएगा । (अठारह विषय)

इस बोर्ड के द्वारा निर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाण पत्र, अन्य औपचारिक शिक्षण बोर्डों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्रों के समतुल्य होंगे (जैसे - सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य राज्यों के परीक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र)। इस बोर्ड के प्रमाणपत्रों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसे विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों (इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि) में प्रवेश लिया जा सकता है, जिनमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान के प्रमाण पत्र मान्य हैं ।

(IV) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलवर्द्धन के विषयों (स्नातक स्तर के पूर्व) में भी इस बोर्ड के द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा और सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से प्रमाणीकरण कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जो सभी प्रकार

की नौकरियों को प्राप्त करने में, सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के रूप में वैध होगा और इसका समुचित लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा ।

(V) डिग्री/स्नातक से पूर्व तक के स्तर, यानि B.Ed. से नीचे जैसे D.El.Ed. इत्यादि के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन 'शिक्षक-प्रशिक्षण' का पाठ्य कार्यक्रम भी इस बोर्ड के द्वारा चलाएगा जाएगा, जिसे IGNOU के द्वारा NCTE के मानकों के आधार पर विकसित किया जा रहा है।

(VI) 'विशेष आवश्यकता' वाले शिक्षार्थियों के लिए भी यह बोर्ड पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन 'शिक्षण-प्रशिक्षण' का कार्य करेगा।

बोर्ड के द्वारा उपरोक्त शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यों के लिए (क्रम संख्या-1 से 6 तक) निम्न प्रकार के सुगमकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग अपने शिक्षण-प्रशिक्षण के कार्य के लिए अपने शिक्षण केन्द्रों पर किया जाएगा।

(VII) सुगमकर्ता के लिए आवश्यक योग्यता :-

शिक्षण/प्रशिक्षण धाराएँ

1. बुनियादी शिक्षा (नवसाक्षर शिक्षण)

स्तर - 1

स्तर - 2

स्तर - 3

योग्यता एवं अनुभव

स्नातक

किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/
निजी विद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव
D.Ed/ B.Ed योग्यताधारियों को
प्राथमिकता दी जाएगी।

2. माध्यमिक शिक्षा

स्नातक, बी.एड

3. उच्चतर माध्यमिक

स्नातकोत्तर; बी.एड./स्नातक, बी.एड,
स्नातकोत्तर/बी.एड.एवं स्नातक/बी.
एड.योग्यताधारियों को किसी सरकारी/
गैरसरकारी/निजी संस्था में 5 वर्ष तक पढ़ाने का

अनुभव।

4. व्यावसायिक शिक्षण

आई.टी.आई सर्टिफिकेट कोर्स योग्यताधारी
जिन्हें किसी सरकारी/गैरसरकारी/
निजी संस्था में पढ़ाने का अनुभव हो।

5. प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण

स्नातकोत्तर, बी.एड. किसी सरकारी/गैरसरकारी/मान्यता

प्राप्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव।

6. विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए संस्थान के

भारतीय पुर्नवास परिषद(RCI)या सरकारी मान्यता प्राप्त

द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

बोर्ड अपने शिक्षण केन्द्रों में उनकी सेवाओं के उपयोग के लिए उन्हें दैनिक मानदेय प्रति कक्षा/प्रति सत्र पर भुगतान करेगा। बोर्ड के द्वारा उपयुक्त पाए गए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी और तदनुसार उनकी सेवाएँ शैक्षिक सुगमकर्ताओं के रूप में ली जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य औपचारिक विद्यालयों के आरम्भ होने के पहले या उनके अंत होने के बाद अथवा अवकाश के दिनों में किया जाता है।

वांछित योग्यताएँ रखने वाले उम्मीदवार इस बोर्ड के लिए शैक्षिक सुगमकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन पत्र (रू0. 100/-प्रति आवेदन पत्र) बोर्ड के वेबसाईट www.bbose.org से अथवा कार्यालय में किसी कार्य दिवस पर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्रों को समर्पित करने की अंतिम तिथि 20.10.2011 होगी।

(दिनेश सिंह विष्ट),
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी